भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3522
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को दिया जाना है

सरकारी वकीलों की निगरानी

3522. श्री परषोत्तमभाई रूपाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने वकीलों और पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक संरचित रुपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के मूल्यांकन के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया गया है ;

(ख) खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी वकीलों को हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार, इसकी एजेंसियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विधिक और वित्तीय हितों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और पैनल में शामिल वकीलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एकसमान, पारदर्शी और व्यापक निगरानी और समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी और पैनल में शामिल वकीलों द्वारा लड़े जा रहे सभी सरकारी मुकदमों से संबंधित डेटा की तत्काल अपलोडिंग, निगरानी और समीक्षा के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : मुकदमों के कुशल और प्रभावी संचालन के लिए सरकार के पास देश के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष मामलों के लिए विधि कार्य विभाग के किसी अधिकारी या किसी विद्वान विधि अधिकारी या उप महा-सालिसिटर को प्रभारी मुकदमा नामनिर्दिष्ट करने का एक तंत्र है । वे मामलों के आबंटन और पैनल वकीलों के निष्पादन के संबंध में विधि कार्य विभाग को मासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं । साथ ही, किसी पैनल वकील के निष्पादन के बारे में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार, उन्हें अवगत कराया जाता है और कुछ

मामलों में, जहां कोई अपराध (उपचार) पाया जाता है, वकील को पैनल से भी हटा दिया जाता है ।

इसके साथ ही, विधि कार्य विभाग द्वारा तारीख 4.4.2025 को जारी 'भारत सरकार द्वारा मुकदमों के कुशल और प्रभावी निष्पादन के लिए निर्देश' के अनुसार, भारत संघ के लिए पैनल में सम्मिलित वकीलों और स्थायी/पैनल वकीलों के निष्पादन पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है ।

(घ) : विधि कार्य विभाग ने फरवरी 2016 में विधिक सूचना प्रबंधन और सार प्रणाली (लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम) (लिम्ब्स) आरंभ किया है । ऐसे सभी मामलों को, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, को मॉनीटर करने के लिए, लिम्ब्स एक ऑनलाइन मंच है, जिसका प्रबंधन विधि कार्य विभाग करता है । इस वेब-आधारित यंत्र को, मुकद्दमा प्रबंधन प्रक्रिया को असरदार तरीके से डिजिटल करने के लिए डिजाइन किया (बनाया) गया है और यह किसी केस की पूरी जीवनकाल को मॉनीटर करने के लिए एक एकल ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है । यह एक अभिनव और आसानी से प्रयोग होने वाला ऑनलाइन यंत्र है, जो भारत संघ के सभी मंत्रालयों/विभागों, विधि अधिकारियों और पैनलीकृत वकीलों के लिए 24x7 उपलब्ध है, जो उन्हें भारत संघ के मामलों से जुड़े अद्यतन ब्यौरे अपलोड करने में सक्षम बनाता है ।
